

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513]

भोपाल, रविवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2021—पौष 5, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2021

क्रमांक इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) तुरन्त प्रभाव से वापस लेते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2021

क्रमांक इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक इक्कीस-अ(प्रा.), दिनांक 26 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 26th December 2021

No. XXI-A(Dr.).—In pursuance of sub-clause (b) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, withdraws the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (No. 14 of 2021) with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH YADAV, Addl. Secy.

1025